अनुस्मारक-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती।

पत्रांक- 650 /33-1. बस्ती, दिनांक, जुलाई 25/08/ 2022

सेवा में,

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
बैतालपुर, गोरखपुर-देवरिया रोड,
देवरिया।

विषय:- जनपद-बस्ती में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (अयोध्या-बस्ती मार्ग) एन0एच0 सं0-27 (पुराना एन0एच0-28) के किमी0 नं0-187 (चेनेज सं0-166.102) के मध्य बांयी पटरी पर खसरा सं0-381, ग्राम-बढहरकला, तहसील-हर्रैया, जिला-बस्ती में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.187502 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 71 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/185/2021/एफ.सी./497 दिनांक 01.11.2021, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1429/11-सी- FP/UP/Approach/49983/2020 दिनांक 02.11.2021, एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1566/33-1 दिनांक 17.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों जिन्हे संलग्न किया जा रहा है, के क्रम में निर्दिष्ट सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु अभी तक आप द्वारा एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को भेजा जा पाना सम्भव नहीं है।

भारत सरकार के पत्र संख्या- File No. 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 नवीनतम आदेशानुसार धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद का नाम	जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि
1	2	3
1	वर्तमान शुद्ध मूल्य (एन0पी0वी0) पूर्व में 117380.00	--
	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2049/11-सी-गाईडलाइन दिनांक 07.01.2022 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या- File No. 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 नवीनतम आदेशानुसार) (957780 x 0.187502= 179585.66556 अथवा 179586.00)	179586.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	7,12,333.00
	(आठ लाख इक्यानबे हजार नौ सौ उन्नीस) योग-	8,91,919.00

अतः उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती

संख्या:- 650 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।-

1- जिलाधिकारी, बस्ती।
2- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
3- क्षेत्रीय वन अधिकारी हर्रैया को इस आशय से प्रेषित की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जांच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि उच्च स्तर को ससमय सूचना भेजी जा सके।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती

04